(139)

पु.या.क/ /2018

प्र.दि. 02 / 05/2018

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर

निगरानी - 3411/2018/खरगोन/भू.रा इन्ही के समक्ष

1. मानसिंह पिता झबरसिंह जाति राजपुत
   निवासी सैलानी तहसील कसरावद
2. महेन्द्र पिता मानसिहं जाति राजपुत
   निवासी सैलानी तहसील कसरावद . . . पुनरिक्षणकर्ता/विपक्षीगण

विरुद्ध

1. दिलीप पिता कमल जाति राजपुत
   निवासी सैलानी तहसील कसरावद
2. सोनाबाई उर्फ समोतीबाई बेवा कमलसिंह जाति राजपुत
   निवासी सैलानी तहसील कसरावद . . . . रेस्पाडेण्टगण/प्रार्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ..... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-05-18 को प्रस्तुत।
467
02-05-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959 के तहत माननीय तहसीलदार महोदय तहसील कसरावद द्वारा रा.प्र.क 7अ-13/2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 10.03.2017 को रेस्पाडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुये धारा 131 म.प्र.भू.रा. संहिता के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित कर देने तथा माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद के रा.प्र.क. 34अ-13/अपील/2016-2017 मे पारित आदेश दिनाकं 31.10.2017 द्वारा पुनरिक्षणकर्ता/विपक्षीगण की अपील निरस्त की गई एवं माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा अपील क 127/2017-18/अपील/ खरगोन मे पुनरिक्षणकर्ता/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनाक 16.04.2018 को निरस्त करने से व्यथित होकर ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3411/2018/खरगोन/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-18	आवेदक अधिवक्ता श्री कुणाल दुबे द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपलब्ध स्थल निरीक्षण एवं पंचनामें अनुसार प्रश्नाधीन रास्ता शासकीय रास्ता सिद्ध हुआ है अत: तहसीलदार कसरावद द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता स्थल निरीक्षण उपरांत खुलवाये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के विधि अनुकूल एवं न्यायसंगत आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	